(कार्या.) 07692- [illegible]
(नि.) 07692- 220301
(फैक्स) 07692- 220990
ई-मेल - dmseo@nic.in,

कार्यालय कलेक्टर भू-अभिलेख सिवनी, जिला सिवनी (म.प्र.)

क्रमांक/ 07 /भू-अभि./स्था.-1/2025 **सिवनी, दिनांक- 01/01/2025**

प्रति,

तहसीलदार
तहसीलदार/नायब तहसीलदार, सिवनी/सिवनी नगर/कुरई/बरघाट/केवलारी/लखनादौन/घंसौर/धनौरा
जिला सिवनी

विषयः- राजस्व प्रकरणों के निराकरण के संबंध में।

---000---

विषयांतर्गत लेख है कि माह जनवरी 2025 में कलेक्टर महोदया एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के व्दारा समस्त राजस्व न्यायालयों का निरीक्षण किया जाना नियत है। उक्त के संबंध में राजस्व न्यायालयों के सभी पीठासीन अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन आदि के प्रकरणों में विधिक राजस्व प्रक्रिया के अनुसार RCMS पोर्टल पर निराकरण कराकर आदेश अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही भूमि सीमांकन संबंधी प्रकरणों में संबंधित राजस्व निरीक्षक/पटवारी से सीमांकन प्रतिवेदन, फील्डबुक, पंचनामा, नक्शा अक्स (जिसमें, यदि सीमांकन के दौरान अनाधिकृत कब्जा संबंधी स्थिति पाई जाती है तो चिन्हांकन हो) एवं पड़ोसी कृषकों को जारी सूचना पत्र आदि की प्रति प्राप्त की जाकर अंतिम आदेश पारित किया जावे तथा RCMS पोर्टल पर भूमि सीमांकन प्रकरण के निराकरण आदेश के साथ-साथ उक्त दस्तावेजों को भी स्कैन करके अपलोड किया जावे। निरीक्षण के दौरान विशेष रूप से भूमि सीमांकन के प्रकरणों के विधि प्रक्रिया के अनुरूप निराकरण एवं दस्तावेजों को RCMS पोर्टल पर अपलोड किये जाने की कार्यवाही की समीक्षा की जावेगी। विधि व नियम विपरीत निराकरण पाये जाने की स्थिति में संबंधित पीठासीन अधिकारियों/संबंधित प्रवाचक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी, जिसका उत्तरदायित्व संबंधित अधिकारी/कर्मचारी का होगा।

(कलेक्टर महोदय व्दारा निर्देशित।)

डिप्टी कलेक्टर
वास्ते कलेक्टर, जिला सिवनी

पृ. क्रमांक/ 07A /भू-अभि./स्था.-1/2025 सिवनी, दिनांक-01/01/2025

प्रतिलिपीः-

1. आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. प्रभारी अधिकारी (राजस्व शाखा) कलेक्ट्रेट सिवनी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. अनुविभागीय अधिकारी (रा.) समस्त जिला सिवनी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

डिप्टी कलेक्टर
वास्ते कलेक्टर, जिला सिवनी